

दस्तावेजों के अंतर दर्ज नहीं करवाए हैं तथा
 नतीजा ही विद्यमान पत्रों के मिरर बनाने हेतु
 सिविल अ्यामाल में चारा जोड़ी की ही इफ्त
 जमीन वाकफ सूची के पूर्ण के भी एक मुकदमा
 342/2013 न्यायलय कानून केशरदेव निगम
 दिनांक 22/9/2015 के अ्यामाल के अंतर्गत 0-7-11111111
 के अ्यामाल किया गया सूची दाय अिपता
 दिला वाकफ कपल अिपता के अंतर्गत
 परेशान करके हेतु अिपता के अंतर्गत
 निषेधास जारी रखना चाहे है।

अतः सूची के अंतर्गत भूमि के किसी भी
 अंतर का कारण पैदा नहीं होता है। सूची के अंतर्गत
 अिपता निषेधास अिपता किया जाता -
 अ्यामाल अिपता नहीं होता है। अतः सूची
 का अिपता सूची अिपता अिपता अिपता
 (vacate) किया जाता है।

पत्राचार के अंतर्गत अिपता अिपता अिपता
 अिपता अिपता अिपता अिपता

उप खण्ड अधिकारी
 चिडावा जिला अिपता (राज.)

21/11/21 18/11/23

एम. प्रो. (ए)

18/11/2023

✓

उप खण्ड अधिकारी

विज्ञान जिला झुंझुनू (राज.)

18/11/23

पत्रावली पेशा-इंडी पत्रावली में आधुनिक आधुनिक विधि द्वारा
 पर आज आदेश दिया जाना है। साथीकरण पर
 सुषी में बहन सुनी अरे पत्रावली का विवरण बन
 दिनांक सुषीनापत्र में वर्णित सुषी के द्वारा
 द्वारा विज्ञान विभाग आया है, फिर पर सुषी के
 अतिरिक्त आदेश द्वारा आया है। सुषी के
 द्वारा विज्ञान पत्र सुषी व फर्नीटिंग के बाद, को

उप खण्ड अधिकारी

विज्ञान जिला झुंझुनू (राज.)